रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223812
CG-DL-E-19122020-223812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/ अग्रहायण 27, 1942
No. 552] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

फा. सं. विनियम/ सुदृढ़ीकरण संशोधन(1)/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) संशोधन विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना सं॰ फा. सं. विनियम/ सुदृढ़ीकरण संशोधन(1)/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018 तारीख 4 फरवरी, 2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 11 फरवरी, 2019 को उपलब्ध् करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम 'खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारबार चालक को 1 जुलाई 2021 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 (जिन्हें इसके पश्चात इन्हें उक्त विनियम कहा गया है) में,-

(क) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

''(घक) **'सुदृढ़ीकृत प्रसंस्कृत खाद्य''** से वह खाद्य अभिप्रेत है, जिसे उसकी प्राकृतिक अवस्था से औद्योगिक प्रसंस्करण पद्धतियों से बदल दिया गया हो। उसमें सुदृढ़ीकृत स्टैपल कच्ची सामग्री के रूप में हो सकते हैं और/अथवा उसे अनुज्ञप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों से सुदृढ़ीकृत किया जा सकता है और उसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट सहयोज्य पदार्थ भी हो सकते हैं।''

(ख) विनियम 3 में उप-विनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएँगे, अर्थात्,-

''(5) सुदृढ़ीकृत प्रसंस्कृत खाद्य सुदृढ़ीकृत खाद्य वस्तुओं, जो धान्य और/अथवा दूध हो सकते हैं, से तैयार किए जा सकते हैं;

(6) सुदृढ़ीकृत प्रसंस्कृत खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से औसतन 600 किलो कैलोरी (2000 किलो कैलोरी ऊर्जा का ~1/3) सेवन पर आधारित सूक्ष्म पोषक तत्वों के भारतीय वयस्क आर.डी.ए का 15-30% प्राप्त हो।

(7) उच्च वसा शर्करा लवण (एच.एफ.एस.एस.) खाद्य सुदृढ़ीकृत प्रसंस्कृत खाद्य की प्रवर्ग में शामिल न किए जाएँ। खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम के अधीन एच. एफ़. एस. एस. की परिभाषा यथा विनिर्दिष्ट वही अर्थ होंगे। ''

(ग) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

''(2) किसी प्रसंस्कृत खाद्य को सुदृढ़ीकृत करने वाला उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सुदृढ़ीकृत प्रसंस्कृत खाद्य में सूक्ष्म पोषक तत्व का स्तर अनुसूची-III में विहित न्यूनतम स्तर से कम न रहे।''

(घ) विनियम 7 के उप-विनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

''परंतु उप-विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ आयोडीनयुक्त लवण (जब आयोडीन से सुदृढ़ीकृत होने पर) के मामले में लागू नहीं होंगी।''

(ङ) अनुसूची-I में,-

(क) के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

''3. सुदृढ़ीकृत दूध

प्रजाति चिह्नित दुग्ध (अर्थात् भैंस का दुग्ध, गाय का दुग्ध, बकरी का दुग्ध, भेड़ का दुग्ध और ऊँटनी का दुग्ध), पूर्ण क्रीम दुग्ध, टोन्ड दुग्ध, डबल टोन्ड दुग्ध, मखनिया दुग्ध और मानकीकृत दुग्ध को नीचे सारणी

में दिए गए स्तर तक सूक्ष्म पोषक तत्वों से सुदृढ़ीकृत किया जाए, जिसमें दुग्ध का पाश्च्युरीकरण, निर्जर्मन, अति उच्च तापमान पर निर्जर्मन/उपचार अथवा क्वथन किया जाएगा:

क्रम सं°	पोषक तत्व/स्रोत	**प्रजाति चिह्नित दुग्ध (अर्थात् भैंस का दुग्ध, गाय का दुग्ध, बकरी का दुग्ध, भेड़ का दुग्ध और ऊँटनी का दुग्ध)/ पूर्ण क्रीम दुग्ध /टोन्ड दुग्ध / डबल टोन्ड दुग्ध/ मखनिया दुग्ध / मानकीकृत दुग्ध) के प्रति लीटर पोषक तत्वों का स्तर**
1.	विटामिन ए (μg RE)- रेटिनिल एसिटेट अथवा रेटिनिल पाल्मिटेट	270 - 450
2.	विटामिन डी (μg) *कोलकैल्सीफेरॉल अथवा *एर्गोकैल्सीफेरॉल (*केवल पादप स्रोत से)	5 –7.5

टिप्पण : विटामिन ए (रेटिनॉल): 1 IU=0.3 μg RE (रेटिनॉल समतुल्य); विटामिन डी (कोलकैल्सीफेरॉल अथवा एर्गोकैल्सीफेरॉल): 1 IU = 0.025 μg”

(ख) खंड (4) में दूसरी सारणी के पश्चात निम्नलिखित कथन अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

‘’बहु-धान्य आटे को भी विटामिनों और खनिजों से उसी स्तर पर सुदृढ़ीकृत किया जा सकता है जो ‘सुदृढ़ीकृत आटे’ के लिए विहित है, बशर्ते बहु-धान्य आटे में गेहूँ का आटा 50% से अधिक हो।”

(च) अनुसूची-II के बाद निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

‘’अनुसूची-III

सुदृढ़ीकृत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मानक

[विनियम 4 का उप-विनियम (2) देखें]

1. **सुदृढ़ीकृत धान्य उत्पाद:**

(1) धान्य उत्पादों में ब्रेकफास्ट धान्य, पास्ता और नूडल शामिल हैं। इनका पौष्टिकीकरण किए जाने पर इनमें योजित आयरन, फोलिक अम्ल और विटामिन बी-12 नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर हो, अर्थात्,-

सारणी

क्रम सं°	पोषक तत्व/स्रोत	प्रति 100 ग्राम पौष्टिकीकरण का स्तर
1	**लौह (मिली ग्राम)** फेरस सिट्रेट अथवा फेरस लैक्टेट अथवा फेरस सल्फेट अथवा फेरिक पायरोफॉस्फेट अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन अथवा फेरस फ्यूमरेट अथवा फेरस बिसग्लासिनेट; अथवा सोडियम आयरन **(III)** इथाइलीन डायामाइन टेट्रा एसिटेट ट्राइहाइड्रेट (सोडियम फेरिडिटेट-NaFeEDTA);	1.4-2.7

2	**फोलिक अम्ल** (μg)	8-16
3	**विटामिन बी12** (μg)- सायनोकोबालामिन, अथवा हाइड्रोक्सीकाबालामिन	0.08-0.16

(2) इसके अतिरिक्त सुदृढ़ीकृत धान्य उत्पादों को निम्नलिखित सूक्ष्म तत्वों से अकेले अथवा मिलाकर नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर सुदृढ़ीकृत किया जा सकता है,

सारणी

क्रम सं॰	**पोषक तत्व/स्रोत**	**प्रति 100 ग्राम पौष्टिकीकरण का स्तर**
1.	**जिंक (मिग्रा):** जिंक सल्फेट	1.0-1.9
2.	**विटामिन ए (μg RE):** रेटिनिल एसिटेट अथवा रेटिनिल पाल्मिटेट,	48-96
3.	**थियामाइन (विटामिन बी1) (मिग्रा):** थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड अथवा थियामाइन मोनोनाइट्रेट;	0.1-0.19
4.	**राइबोफ्लेविन (विटामिन बी2) (मिग्रा):** राइबोफ्लेविन अथवा राइबोफ्लेविन 5'-फॉस्फेट सोडियम	0.11-0.22
5.	**नियासिन (विटामिन बी3) (मिग्रा):** निकोटिनेमाइड अथवा निकोटिनिक एसिड	1.3-2.6
6.	**पायरीडोक्सीन (विटामिन बी6) (मिग्रा):** पायरीडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड	0.2-0.3

2. **बेकरी की सुदृढ़ीकृत सामग्रियाँ:**

(1) बेकरी सामग्रियों में ब्रेड, बिस्कुट, रस्क और बन शामिल हैं। इन्हें सुदृढ़ीकृत किए जाने पर इनमें योजित आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर हों अर्थात्,-

सारणी

क्रम सं॰	**पोषक तत्व/स्रोत**	**प्रति 100 ग्रामपौष्टिकीकरण स्तर**
1.	**आयरन (मिग्रा):** फेरस सिट्रेट अथवा फेरस लैक्टेट अथवा फेरस सल्फेट अथवा फेरिक पायरोफॉस्फेट अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन अथवा फेरस फ्यूमरेट अथवा फेरस बिसग्लाइसाइनेट; अथवा सोडियम आयरन(III) इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट ट्राइहाइड्रेट (सोडियम फेरेडिटेट-Na FeEDTA);	1.4-2.7
2.	**फोलिक अम्ल(μg)**	8-16
3.	**विटामिन बी12 (μg)-** सायनोकोबालामिन, अथवा हाइड्रोक्सीकोबालामिन;	0.08-0.16

(2) इसके अतिरिक्त बेकरी की सुदृढ़ीकृत सामाग्री को निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों से अकेले अथवा मिलाकर नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर सुदृढ़ीकृत किया जा सकता है:

सारणी

क्रम सं॰	पोषक तत्व/स्रोत	प्रति 100 ग्राम पौष्टिकीकरण का स्तर
1.	**जिंक (मिग्रा):** जिंक सल्फेट	1.0-1.9
2.	**विटामिन ए (µg RE):** रेटिनिल एसिटेट अथवा रेटिनिल पाल्मिटेट,	48-96
3.	**थियामाइन (विटामिन बी1) (मिग्रा):** थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड अथवा थियामाइन मोनोनाइट्रेट;	0.1-0.19
4.	**राइबोफ्लेविन (विटामिन बी2) (मिग्रा):** राइबोफ्लेविन अथवा राइबोफ्लेविन 5’-फॉस्फेट सोडियम	0.11-0.22
5.	**नियासिन (विटामिन बी3) (मिग्रा):** निकोटिनेमाइड अथवा निकोटिनिक एसिड	1.3-2.6
6.	**पायरीडोक्सीन (विटामिन बी6) (मिग्रा):** पायरीडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड	0.2-0.3

3. सुदृढ़ीकृत फल रस:

(1) सुदृढ़ीकृत होने पर फल रसों में नीचे सारणी में दिए गए स्तर में विटामिन सी हो:

क्रम सं.	पोषक तत्व/स्रोत	प्रति 100 मि.ली पौष्टिकीकरण का स्तर
1.	**विटामिन सी (मिग्रा):** एस्कोर्बिक एसिड	6-12”

अरुण सिंघल, कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./413/2020-21]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं॰ फाइल सं॰ 11/03/विनियम/पौष्टिकीकरण/2014, तारीख 2 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

F. No. REG/Fortification Amendment (1)/Notification/FSSAI-2018.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2019, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. REG/Fortification Amendment (1)/Notification/FSSAI-2018, dated the 4th February, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th February, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) First Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and food business operator shall comply with all the provisions of these regulations with effect from 1st July, 2021.

2. In the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 (herein after referred as said regulation)-

(A) In regulation 2, in sub regulation (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(da) "**Fortified Processed Foods**" means processed foods (i.e., foods that have been altered from its natural state by industrial processing methods) that have undergone the process of fortification as per the provisions of these regulations. The same may have fortified staples as raw materials and/or fortified with permitted micronutrients and additives as specified under the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulation, 2011."

(B) in regulation 3, after sub-regulation (4), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(5) Fortified Processed Foods may be prepared from fortified food articles that may be cereals and/or milk;

(6) The Fortified Processed Food shall provide 15-30% of the Indian adult RDA of micronutrient based on an average calorie intake of 600 kcal from processed foods (approximately 1/3rd of daily energy requirement for an adult);

(7) High Fat Sugar Salt (HFSS) Foods shall be excluded from Fortified Processed Foods category. The definition of HFSS foods shall have the same meaning as specified under the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020."

(C) in regulation 4, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(2) Any manufacturer who fortifies any processed food shall ensure that the level of micronutrients in such fortified processed food shall fall within the range specified in Schedule-III."

(D) in regulation 7, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided that the requirements as specified in sub-regulation (2) is not required in case of iodized salt (when fortified with iodine).

(E) in Schedule- I, -

(a) for clause (3), the following shall be substituted, namely:-

"3. Fortified Milk

Species identified milk (namely buffalo milk, cow milk, goat milk, sheep milk and camel milk), full cream milk, toned milk, double toned milk, skimmed milk and standardized milk, when fortified, shall be fortified with the following micronutrients at the level given in the table below, wherein the milk is to undergo the process of pasteurization, sterilization, ultra high temperature sterilization/treatment or boiling:

S. No.	Nutrients/Source	Level of nutrient per litre of Species identified milk (namely buffalo milk, cow milk, goat milk, sheep milk and camel milk)/ full cream milk/toned milk/double toned milk/skimmed milk/standardized milk
1.	Vitamin A (µg RE)- Retinyl acetate or Retinyl palmitate	270 - 450
2.	Vitamin D (µg) *Cholecalciferol or*Ergocalciferol (*Only from Plant source)	5-7.5

Note: Vitamin A (retinol): 1 IU= 0.3 µg RE (Retinol Equivalent); Vitamin D (Cholecalciferol or Ergocalciferol): 1 IU= 0.025 µg"

(b) in clause (4), after the second table, following statement shall be inserted, namely :-

"Multi-grain Atta may also be fortified with vitamins and minerals at the same levels specified for 'Fortified Atta', provided that the multigrain atta contains more than 50% as wheat flour in it."

(F) after Schedule –II, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE-III

STANDARDS FOR FORTIFIED PROCESSED FOODS

[See sub-regulation (2) of regulation 4]

1. **Fortified Cereal Products:**

(1) Cereal products include Breakfast cereals, Pasta and Noodles, when fortified, shall contain added iron, folic acid and Vitamin B_{12} at the level given in the table below, namely:-

Table

S.No.	Nutrients/Source	Level of nutrient per 100 g
1	**Iron (mg)** Ferrous citrate or Ferrous lactate or Ferrous sulphate or Ferric pyrophosphate or electrolytic iron or Ferrous fumarate or Ferrous bis glycinate; or Sodium Iron (III) Ethylene diamine tetra acetate, trihydrate (Sodium feredetate -Na Fe EDTA);	1.4-2.7
2	**Folic acid (µg)**	8-16
3	**Vitamin B_{12} (µg) -** Cyanocobalamine, or Hydroxycobalamine;	0.08-0.16

(2) In addition, fortified cereal products, when fortified, may also be fortified with following micronutrients, singly or in combination, at the level in the table below, namely:-

Table

S.No.	Nutrient/Source	Level of nutrient per 100 g
1.	**Zinc (mg):** Zinc Sulphate	1.0-1.9
2.	**Vitamin A (µg RE):** Retinyl acetate or Retinyl Palmitate,	48-96
3.	**Thiamine (Vitamin B_1) (mg):** Thiamine hydrochloride or Thiamine mononitrate;	0.1-0.19
4.	**Riboflavin (Vitamin B_2) (mg):** Riboflavin or Riboflavin 5'-phosphate sodium ;	0.11-0.22
5.	**Niacin(Vitamin B_3) (mg):** Nicotinamide or Nicotinic acid;	1.3-2.6
6.	**Pyridoxine (Vitamin B_6) (mg):** Pyridoxine hydrochloride;	0.2-0.3

2. Fortified bakery wares:

(1) Bakery wares includes bread, biscuits, rusks and buns ,when fortified, shall contain added iron, folic acid and Vitamin B_{12} at the level given in the table below, namely:-

Table

S.No.	Nutrients/Source	Level of nutrient per 100 g
1	**Iron (mg):** Ferrous citrate or Ferrous lactate or Ferrous sulphate or Ferric pyrophosphate or electrolytic iron or Ferrous fumarate or Ferrous bisglycinate; or Sodium Iron (III) Ethylene diamine tetra acetate, trihydrate (Sodium feredetate -Na Fe EDTA);	1.4-2.7
2	**Folic acid (µg)**	8-16
3	**Vitamin B_{12} (µg)-** Cyanocobalamine, or Hydroxycobalamine;	0.08-0.16

(2) In addition, fortified bakery wares, when fortified may also be fortified with following micronutrients, singly or in combination, at the level in the table below:

Table

S.No.	Nutrient/Source	Level of nutrient per 100 g
1.	**Zinc (mg):** Zinc Sulphate	1.0-1.9
2.	**Vitamin A (µg RE):** Retinyl acetate or Retinyl Palmitate,	48-96
3.	**Thiamine (Vitamin B_1) (mg)**: Thiamine hydrochloride or Thiamine mononitrate;	0.1-0.19
4.	**Riboflavin (Vitamin B_2) (mg):** Riboflavin or Riboflavin 5'-phosphate sodium ;	0.11-0.22
5.	**Niacin(Vitamin B_3) (mg):** Nicotinamide or Nicotinic acid;	1.3-2.6
6.	**Pyridoxine (Vitamin B_6) (mg):** Pyridoxine hydrochloride;	0.2-0.3

3. Fortified Fruit Juices:

(1) Fruit juices, when fortified, shall contain Vitamin C at the level given in the table below:

Table

S. No.	Nutrient/Source	Level of nutrient per 100 m L
1.	**Vitamin C (mg):** Ascorbic acid	6-12"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./413/2020-21]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number File No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2[st] August, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.19 16:44:44 +05'30'